



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022023-243520

CG-DL-E-08022023-243520

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 2023/माघ 18, 1944

No. 588]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2023/MAGHA 18, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2023

सं. 55/2015-2020

विषय: सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के साथ अध्याय 28, 29, 30 और 73 के लिए आरओडीटीईपी अनुसूची का संरेखण।

का.आ. 617(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा, आरओडीटीईपी समिति की सिफारिश पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के साथ अध्याय 28, 29, 30 और 73 के लिए परिशिष्ट 4 द के तहत आरओडीटीईपी अनुसूची के संरेखण को अधिसूचित करती है। यह संशोधित परिशिष्ट 4द 15.02.2023 से प्रभावी होगा।

2. संशोधित परिशिष्ट 4द 15.02.2023 से 30.09.2023 तक किए गए निर्यात पर लागू होगा। स्कीम के बजटीय ढांचा का अनुपालन करने के लिए, एफटीपी 2015-20 के पैरा 4.54 के अनुसार जब कभी आवश्यक हो, परिवर्तन और संशोधन किए जा सकते हैं।

3. संशोधित आरओडीटीईपी परिशिष्ट 4द जिसमें पात्र आरओडीटीईपी निर्यात मर्चें, दरें और प्रति इकाई अधिकतम मूल्य सीमा शामिल हैं, डीजीएफटी पोर्टल www.dgft.gov.in पर 'रेग्युलेटरी अपडेट से> आरओडीटीईपी' लिंक के तहत उपलब्ध है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: आरओडीटीईपी के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 47 दिनांक 07.12.2022 के तहत अध्याय 28, 29, 30 और 73 से निर्यात मर्चों को शामिल करने के परिणामस्वरूप, परिशिष्ट 4द को

15.02.2023 से कार्यान्वित करने के लिए सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के साथ संरेखित किया गया है।

[फा. सं. 01/61/180/155/एम-21/पीसी-3]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2023

No : 55 /2015-2020

Subject: Alignment of RoDTEP Schedule for chapter 28, 29, 30 & 73 with First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975

S.O. 617(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2015-20, the Central Government hereby, on the recommendation of the RoDTEP Committee, notifies alignment of RoDTEP Schedule under Appendix 4R for chapter 28, 29, 30 & 73 with First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975. This revised Appendix 4R shall be effective from 15.02.2023.

2. The revised Appendix 4R will be applicable for exports made from 15.02.2023 to 30.09.2023. However, to adhere to the Scheme budgetary framework, necessary changes and revisions as per Para 4.54 of FTP 2015-20 may be made whenever required.

3. The revised RoDTEP Appendix 4R containing the eligible RoDTEP export items, rates and per unit value caps, is available at the DGFT portal www.dgft.gov.in under the link 'Regulatory Updates >RoDTEP'.

Effect of this Notification: Consequent to inclusion of export items from Chapter 28, 29, 30 & 73 vide Notification No. 47 dated 07.12.2022 under RoDTEP, Appendix 4R is aligned with First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 for implementation with effect from 15.02.2023.

[F. No. 01/61/180/155/AM21/PC3]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.